139

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक तीन/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2017/2938 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 17—08—2017 के द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील गोहद जिला भिण्ड के प्रकरण कमांक 37/अपील/2016—17.

.....

मनीष शर्मा पुत्र श्री जगमोहन शर्मा
निवासी ग्राम बड़ागर तहसील गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

—— आवेदक

विरूद्ध

1— शैलेन्द्र सिंह पुत्र श्री सरनाम शर्मा
निवासी ग्राम बड़ागर तहसील गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

2— भारत सिंह पुत्र श्री जगन्नाथ सिंह
निवासी ग्राम बांकेपुर तहसील गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

3—दुर्ग सिंह मौर्य तत्कालीन नायब तहसीलदार
सर्किल मौ हाल निवासी 321 सुरेश नगर
मुरार ग्वालियर म0प्र0

4—ओ0 पी0 आर्य तत्कालीन पटवारी मौजा
बडागर हाल राजस्व निरीक्षक मुरैना
निवासी दर्पण कालोनी मकान नम्बर
जे—1047 ठाटीपुर मुरार ग्वालियर म0प्र0

5–श्रीमती रामश्री पत्नी रामनाथ जाटव
निवासी ग्राम बांकेपुर तहसील गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0 ———अनावेदकगण

.....

श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा अभिभाषक, आवेदक
श्री राजेन्द्र जैन, अभिभाषक, अनावेदकगण क–1, 2
श्री व्ही0 के0 तारे अभिभाषक, अनावेदक क–4
अनावेदक कमांक –3, व 5 एकपक्षीय

.....

आदेश

(आज दिनांक 16/11/2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील गोहद जिला भिण्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–08–2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक–1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गोहद जिला भिण्ड के न्यायालय में तहसीलदार गोहद द्वारा जारी पटट्ा आर0एन0 कमांक 193 दिनांक 21.7.14 के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई । अपील के साथ धारा–5 का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया जो उनके द्वारा दिनांक 17.8.17 द्वारा स्वीकार किया गया है जिससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा–5 का आवेदन स्वीकार किया गया है वह नितांत विधि प्रकिया विरूद्व है। उनके द्वारा आवेदन पत्र में दिन प्रतिदिन के विलंब का कारण नहीं बताया गया है। इन सब कारणों के बाद भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा–5 का आवेदन स्वीकार करने में त्रुटि की गई है। उनके द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि अनावेदकगण कमांक–1, 2 को उक्त पटटे की जानकारी पहले से ही थी। अनावेदकगण आवेदक की भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिये

अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में उक्त सभी तथ्य गलत वर्णित करके समयावधि से बाहर अपील प्रस्तुत की है जिसे स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी ने गंभीर त्रुटि की है। इसलिये अनुविभागीय अधिकारी गोहद जिला भिण्ड का आदेश दिनांक 17.8.17 निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी न्याय दृष्टांत बताया गया है कि **म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 47 अनुचित विलंब को क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वितीय पक्षकार को प्रोदभूत मूल्यवान अधिकार को विनष्ट नहीं किया जा सकता।** अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी गोहद का अंतिरिम आदेश दिनांक 17.8.17 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4–अनावेदक के अधिवक्तागण द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अनावेदकगण को जैसे ही आदेश की जानकारी हुई उसी समय नकल प्राप्त कर अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की मात्र 2 दिन का विलंब हुआ है जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मांफ किया जाकर धारा–5 का आवेदन स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की गई। उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी गोहद जिला भिण्ड का आदेश दिनांक 17.8.17 स्थिर रखा जावे।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। तंथा प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी तहसील गोहद के प्रकरण के पृष्ठ कमांक 19 पर सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन करने पर पाया गया है कि अनावेदक 28.2.17 को आवेदन प्रस्तुत कर उसी दिनांक को नकल प्राप्त की गई है और दिनांक 3.3.17 को अनुविभागीय अधिकारी तहसील गोहद के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है जिसके साथ धारा–52 का आवेदन एवं धारा–5 का आवेदन मय शपथपत्र के प्रस्तुत किया गया है और धारा–5 के आवेदन में जो विलंब का कारण बताया गया है वह अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समाधानकारक होने से स्वीकार किया गया है। **माननीय उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिपादित निम्न न्याय दृष्टांत अवलोकनीय है। अपंगशु मोहन लाधी**

विरूद्व त्रिपुरा राज्य 2004 –1 एस0 एस0 सी0 119 जी0 एम0 जी0 ईन्जी0 इन्डस्ट्री विरूद्व ईसा ग्रीन पावत ए0 आई0 आर0 2015 एस0 सी0 2675 एवं प्रकाश एच0 जैन विरूद्व मेरीफर्नाण्डीज 2008 एस0 सी0 सी0 43 एवं परिसीमा अधिनियम 1963 धारा–5 विलंब माफ करने में उदार रूख अपनाया जाना चाहिये सामान्यतः विलंब मांफ किया जाना चाहिये। ए0 आई0 आर0 1987 एस0सी0 1353 से अनुसरित। उपरोक्त न्याय दृष्टांतो को दृष्टिगत रखते हुये अनुविभागीय अधिकारी गोहद जिला भिण्ड का अंतिरिम आदेश दिनांक 17.8.17 उचित प्रतीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है। वैसे भी अभी अनुविभागीय अधिकारी गोहद जिला भिण्ड के न्यायालय में प्रकरण संचालित है। प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जाना है। उभयपक्ष को अपना पक्ष समर्थन रखने का पर्याप्त अवसर है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर उपरोक्त न्याय दृष्टांतो को दृष्टिगत रखते हुये अनुविभागीय अधिकारी गोहद जिला भिण्ड का अंतिरिम आदेश दिनांक 17.8.17 उचित प्रतीत होने से स्थिर रखा जाता है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर